भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3460

उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

एचईएफए से ऋण अनुदान

†3460 श्री राजा राम सिंह:

श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एचईएफए पूरी तरह से चालू हो गया है और इसके कार्यान्वयन से देश भर में उच्च शिक्षा के अवसंरचना में सुधार हो रहा है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) से ऋण के लिए आवेदन करने वाले कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान एचईएफए द्वारा अनुरोध की गई, स्वीकृत और वितरित की गई राशि सहित कॉलेजों/विश्वविद्यालय/संस्थानों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या किसी कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान ने ऋण चुकाने में चूक की है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(ङ.) पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) के लिए आवेदन करने वाले और दर्जा प्राप्त करने वाले कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;
(च) क्या एचईएफए के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन की पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है; और
(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): एचईएफए की स्थापना धारा-8 एक तहत स्थापित कंपनी के रूप में की गई है और यह आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्र पोषित उच्चतर शिक्षण संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिए धन उपलब्ध कराता है। यह पूरी तरह कार्यात्मक है और अपनी स्थापना के बाद से 110 केंद्र पोषित संस्थानों को 43,437.58 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ स्वीकृत कर चुका है। किसी भी संस्थान ने एचईएफए को ऋण

चुकाने में चूक नहीं की है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, विभिन्न प्रकार के संस्थानों को अनुरोधित, स्वीकृत और वितरित राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

संस्थान की श्रेणी	**अनुरोधित राशि**	**स्वीकृत राशि**	**संवितरित राशि**	**टिप्पणी**
केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू)	5421.72	5324.14	1555.55	स्वीकृत राशि आमतौर पर परियोजना की पूर्णता की प्रगति को ध्यान में रखते हुए ढाई वर्षों में वितरित की जाती है।
आईआईटी	8585.20	8452.62	2367.94	
आईआईएम	1024.74	1014.64	93.96	
एनआईटी	2675.97	2557.38	1356.26	
आईआईआईटी	367.20	323.25	14.50	
अन्य (आईआईएससी, आईआईएसईआर आदि)	288.60	288.60	45.05	
कुल योग	**18363.43**	**17960.63**	**5433.26**	

(ङ) प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा पाने के इच्छुक संस्थानों के लिए आवेदन प्रक्रिया वित्त वर्ष 2017-18 में ही शुरू होकर समाप्त हो गई थी। पिछले पाँच वर्षों में प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा देने के लिए कोई नया आवेदन नहीं आमंत्रित किया गया है। प्राप्त आवेदनों में से आईआईटी, मद्रास; आईआईटी, दिल्ली; आईआईटी, बॉम्बे; आईआईटी, खड़गपुर; आईआईएससी बैंगलोर; दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी; मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल; ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत और शिव नादर यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा सहित कुल बारह संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा दिया गया है।

(च) और (छ): एचईएफए ने सभी केंद्र-वित्तपोषित संस्थानों में परियोजना कार्यान्वयन की पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत कार्यप्रणालियाँ शुरू की हैं। इन कार्यों में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए परियोजना निगरानी प्रणाली, विक्रेताओं/ठेकेदारों को भुगतान के लिए प्रत्यक्ष संवितरण तंत्र, देरी से बचने और परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा और बोर्ड स्तरीय पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं।

*****